सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय

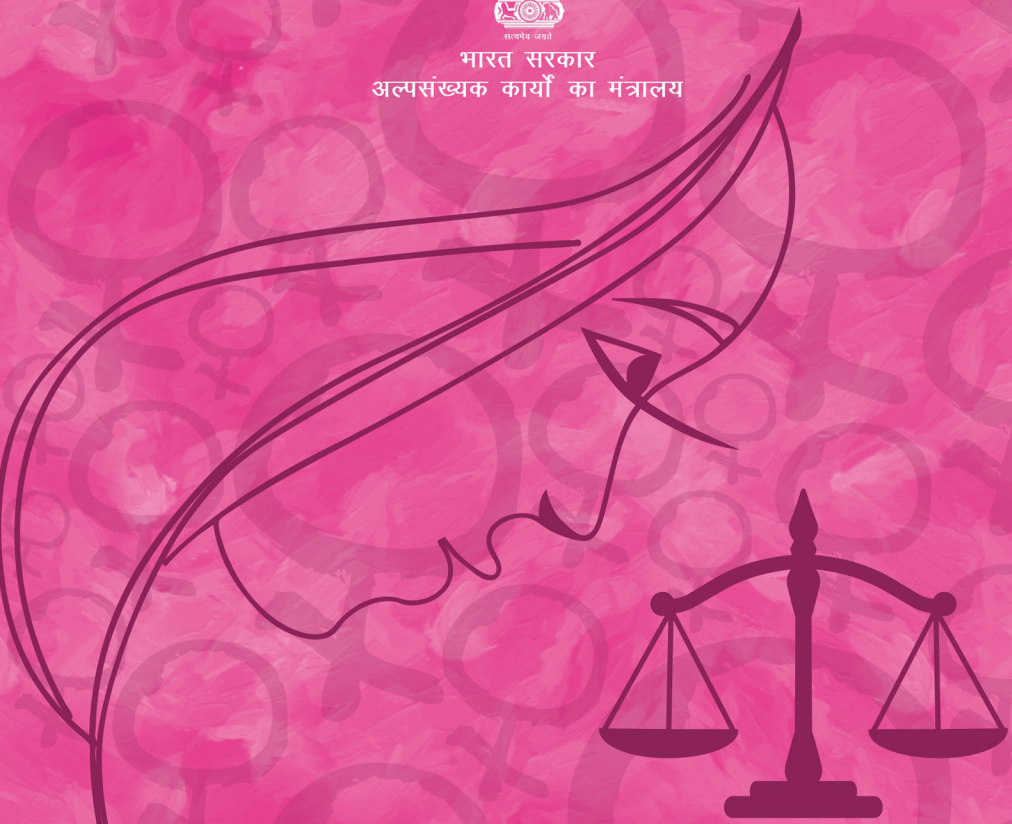

महिलाओं के कानूनी अधिकार

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई है:

- महिलाओं का सशक्तिकरण
- महिलाएं और जेंडर
- महिलाओं के अधिकार
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और इससे संबंधित अधिनियम
- अन्य कानूनी प्रावधान (विवाह और दत्तकग्रहण संबंधित अधिनियम)
- अन्य प्रयास

महिलाओं का सशक्तिकरण

- इस प्रक्रिया में महिलाएं और पुरूष, दोनों शामिल होते हैं; वे अपनी कार्यसूची स्वयं निर्धारित करने के जरिए अपने जीवन पर नियन्त्रण रखते है, कुशलताएं अर्जित करते हैं (या उनकी कुशलताओं और जानकारी को मान्यता मिलती है), उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्याएं सुलझती हैं और आत्मनिर्भरता का विकास होता है।
- यह एक प्रक्रिया और परिणाम, दोनों है।
- सशक्तिकरण से महिलाओं की एक निर्धारित परिवेश में जीवन की रणनीति से संबंधित विकल्प चुनने की योग्यता बढ़ती है, जहां पहले इस योग्यता को नकार दिया गया था।

सशक्तिकरण के घटक

- अपना महत्व समझने की भावना।
- विकल्प रखने और निर्धारित करने का अधिकार।
- अवसरों और संसाधनों तक पहुंच रखने का अधिकार।
- घर और बाहर दोनों जगह अपने जीवन को स्वयं नियत्रिंत रख पाने का अधिकार।
- राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था के लिए सामाजिक बदलाव की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता।

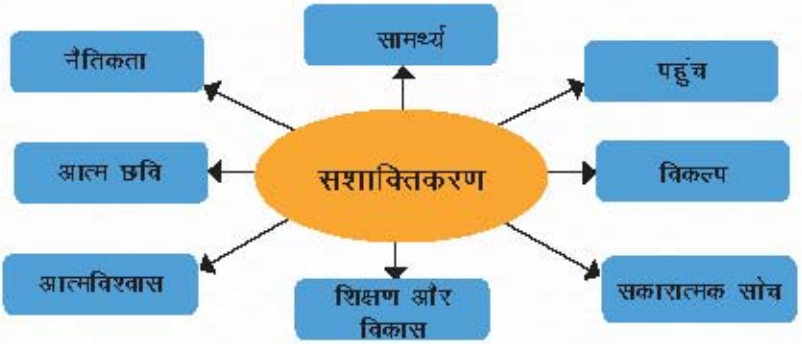

महिलाएं और जेंडर

- भारत के संविधान में जेंडर समानता के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
- लेकिन अभी भी निर्धारित किए गये लक्ष्यों और भारत में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता में भारी अन्तर मौजूद है।

- परिणामस्वरूप महिलओं की, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है।

जेंडर को समझना

- जेंडर का अभिप्राय पुरूषों और महिलाओं के बीच सामाजिक भिन्नताओं से हैं जो समय के साथ सीखी गई हैं और परिवर्तनीय हैं और जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच और संस्कृतियों के भीतर मौजूद होते हैं।
- इस तरह की विशिष्टताएं और संबंध सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और इन्हें समाजीकरण की प्रक्रियाओं के जरिए सीखा जाता है।
- एक निर्धारित परिवेश में किसी महिला या पुरूष से क्या उम्मीद की जाती है, किन बातों की अनुमति दी जाती है क्या और कब सम्मानित किया जाता है, इसका निर्धारण जेंडर करता है।

जेंडर और लिंग के बीच अन्तर

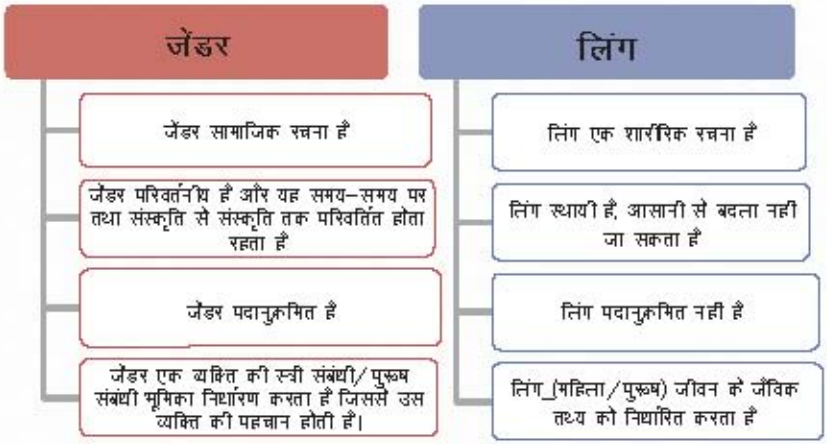

जेंडर संवेदीकरण

जेंडर संवेदीकरण का अभिप्राय जेंडर समानता के मुद्धों पर जागरूकता बढ़ा कर व्यवहार में बदलाव लाने से है। इससे उन विचारों को समझने में मदद मिलती है जो व्यक्ति खुद अपने लिए और विपरीत लिंगी व्यक्ति के लिए रखता है। यह लोगों को अपने रवैये और धारणाओं की जांच करने में भी सहायता करता है।

जेंडर भूमिकाएं

किसी समाज/समुदाय या अन्य सामाजिक समूह में जेंडर भूमिकाएं उन गतिविधियों, कार्यों, जिम्मेदारियों के अनुसार निभाई जाती हैं जो उस समुदाय में पुरूष या महिला के अनुरूप समझी गई हैं। जेंडर भूमिकाएं व्यवस्था के अनुसार और समय के साथ बदलती हैं। निम्नलिखित कारक जेंडर भूमिकाओं को आकार दे सकते हैं और उनमें बदलाव ला सकते हैं:

जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक	
उम्र	वर्ग
नस्ल	जातीयता
धर्म और विचारधाराएं	भौगोलिक वातावरण
आर्थिक वातावरण	राजनैतिक वातावरण

जेंडर भूमिकाओं के प्रकार

प्रजनक भूमिका	उत्पादक भूमिका	सामुदायिक प्रबंधन भूमिका	सामुदायिक राजनतिक भूमिका
• गृहस्थी का रख–रखाव और परिवार के सदस्यों की देखभाल। • गर्भ धारण और बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी तथा इससे जुड़े कार्य। • अक्सर ये कार्य लड़कियों और महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं।	• चीजों का उत्पादन और विनिमय मूल्य के साथ सेवाएं। • पुरूषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य। • पुरूषों के उत्पादक कार्य की तुलना में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले उत्पादक कार्यों का मूल्य कम आंका जाता है।	• अवैतनिक स्वैच्छिक कार्य जो खाली समय में किया जाता है। • महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से की जाने वाली गतिविधियां जो उनकी प्रजनक भूमिकाओं के विस्तार के रूप में की जाती है जिससे सामुदायिक संबंध स्थायी रहते हैं। • पानी, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसे समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों की व्यवस्था और रख–रखाव सुनिश्चित करना।	• आमतौर पर वैतनिक नकद भुगतान पर अथवा स्तर या शक्ति के जरिए किया जाने वाला कार्य। • यह गतिविधियां अनिवार्य रूप से पुरूषों द्वारा की जाती है।

जेंडर से संबंधित मुद्दे

➢ भेदभाव पूर्ण रवैये

जेंडर असमानताएं केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि विचारों, व्यवहारों और रवैये में प्रतिबिंबित होती हैं जो अक्सर जेंडर रूढ़िबद्धताओं पर आधारित होते हैं और पुरूषों तथा महिलाओं के मामले में अलग–अलग होते हैं।

➢ परिवारों के भीतर असमानताएं

परिवार के भीतर मोल–तोल और निर्णय लेने की क्षमता और साधनों तक पहुंच में भेदभाव के प्रमाण मिलते हैं।

➢ घरेलू/गैर–भुगतान वाला क्षेत्र

परिवार की देखभाल और परिपोषण करने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर होती है। ये कार्य महिलाओं के काम के बोझ को बढ़ाते हैं और अक्सर महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बाधक होते हैं।

➢ अर्थव्यवस्था के भीतर जेंडर के आधार पर श्रम का विभाजन

महिलाएं और पुरूष व्यवसायों में अलग–अलग तरह से वितरित हैं। महिलाएं कम भुगतान वाली नौकरियां और 'निम्न–स्तरीय कार्य ' में लगी हुई हैं और शिक्षा, कुशलताओं, सम्पत्ति और ऋण जैसी उत्पादक परिसम्पत्तियों तक उनकी पहुंच पुरूषों के मुकाबले कम होती हैं।

➢ महिलाओं के खिलाफ हिंसा

जेंडर आधारित हिंसा से भी जेंडर असमानता का पता चलता है। यह हिंसा चाहे महिला के अन्तरंग भागीदार द्वारा की जाए अथवा महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार, बलात्कार, छेड़–छाड़ और कार्य स्थाल पर यौन उत्पीड़न के जरिए होती हो।

➢ राजनीतिक अधिकारों में असमानता (निर्णय लेने, प्रतिनिधित्व आदि तक पहुंच)

राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तथा निर्णय लेने संबंधी औपचारिक ढांचों (जैसे सरकारों, सामुदायिक परिषदों और नीति निर्माण करने वाली संस्थाओं) के भीतर जैंडर संबंधी अन्तर तथा असमानता मौजूद हैं।

➢ कानूनी स्थिति और अधिकारों में अन्तर

प्रथाओं द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत स्थिति, सुरक्षा, जमीन–जायदाद, विरासत और रोजगार के अवसरों जैसे विषयों में समानता के अधिकारों को नकार दिया जाता है।

जेंडर को मुख्य धारा में लाना

- ➢ जेंडर को मुख्य धारा में लाने का अर्थ है एक बुनियादी मूल्य के रूप में जेंडर समानता लाना जो विकास के विकल्पों और प्रथाओं के रूप में प्रकट हो।
- ➢ इसका अर्थ है कि महिलाएं और पुरूष समान रूप से निर्णय निर्माताओं के रूप में भाग लें ।

जेंडर को मुख्यधारा में लाने के मुख्य सिद्धान्त

- ➢ मुद्दों और समस्याओं की शुरूआती पहचान इस तरीके से की जानी चाहिए कि जेंडर संबंधी अन्तर और असमानता पता चल सके।

- अवधारणा को व्यवहार में बदलने के लिए स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा पर्याप्त संसाधानों का निर्धारण होना बहुत महत्वपूर्ण है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर महिलाओं की उचित भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

- जेंडर को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया के लिए लक्षित, महिला विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों तथा सकारात्मक कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है और न ही जेंडर इकाइयों और केन्द्रीय बिन्दुओं से अलग रहने की जरूरत है बल्कि जेंडर समानता को बढ़ावा देने वाली विकास प्रथाओं का समर्थन है।

अधिकार

- अधिकार कुछ करने की कानूनी, सामाजिक या नैतिक आजादी है।
- भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- ये अधिकार व्यक्ति की भलाई और समाज के व्यापक हित के लिए अनिवार्य हैं।

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार	शोषण के विरूद्ध अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार

- समानता का अधिकार भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है।
- यह कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण को निश्चित करता है और यह भी सुनिश्चियत करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे किसी भी कारण से किसी से भेदभाव नहीं किया जाए।

जीवन का अधिकार

- जीवन के अधिकार का अर्थ है सार्थक, पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार।
- जीवन का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि मानव अस्तित्व के लिए प्रेरक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जीवन का अधिकार भ्रूण, खासतौर पर बालिका भ्रूण पर भी लागू होता है जिन्हें जन्म लेने का अधिकार है।

निजी स्वतंत्रता का अधिकार

- स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता को व्यक्त करता है।
- इस अधिकार का अर्थ किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कारावास (बंदिश) या अन्य रूप से शरीरिक नियत्रंण से अजादी है।

स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत स्वतंत्रताएं

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

➢ सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार इस प्रकार दिया गया है :

"समाज के सदस्य के रूप में हर व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पाने का हकदार है, राष्ट्रीय प्रयास और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा यह वास्तव में उसे प्राप्त हो और गौरवपूर्ण जीवन जीने और व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए वह राष्ट्र की व्यवस्था और संसाधनों के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अनिवार्य रूप से पाने का हकदार है।"

➢ सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, शिक्षा, पानी और सफाई समेत बुनियादी अधिकारों को साकार करने के उपाय भी शामिल हैं।

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21ए** के अन्तर्गत मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल है:

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
- सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना।
- जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है उन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना।

➢ इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार में शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली के भेदभाव को समाप्त करने की अनिवार्यता भी शामिल है।

काम करने का अधिकार

➢ काम करने के अधिकार में उल्लेख है कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने के लिए बुनियादी पारिश्रमिक हेतु कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

➢ काम/रोजगार का अधिकार मौलिक मानवाधिकार है जिसका लक्ष्य हर व्यक्ति को निम्नलिखित उपलब्ध कराना है:

- रोजगार चुनने की आजादी
- काम करने की उचित और अनुकूल स्थितियां
- बेरोजगारी से सुरक्षा

➢ यह अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि सभी काम करने वाले लोगों को उचित और अनुकूल पारिश्रमिक मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन बिता सकें और अगर जरूरी हो तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधनों से इनकी आमदनी में पूर्ति की जाए।

प्रजनन अधिकार

➢ महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार भेदभाव से आजादी और महिलाओं की समाजार्थिक स्थिति के संदर्भ में बनाए गए हैं।

➢ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) प्रजनन संबंधी अधिकारों को इस प्रकार पारिभाषित करता है:

- प्रजनन संबंधी अधिकार में दम्पतियों और अलग–अलग व्यक्तियों के ये अधिकार शामिल हैं:
  - अपने बच्चों की संख्या, जन्म में अन्तर और बच्चे कब पैदा किए जाएं इसके बारे में स्वतन्त्रता पूर्वक और
  - जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना।
  - इन निर्णयों को लेने के लिए सूचना, जानकारी, शिक्षा और माध्यम का पता होना चाहिए।
  - लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर प्राप्त करना।
  - प्रजनन के बारे में भेदभाव, दबाव और हिंसा से मुक्त निर्णय लेना।

बलात्कार और यौन हिंसा के विरूद्ध अधिकार

➢ महिलाओं के विरूद्ध किसी भी रूप में हिंसा को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

➢ बलात्कार यौन हिंसा का एक रूप है। किसी दूसरे व्यक्ति खासतौर पर महिला के साथ उसकी इच्छा या सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौन हिंसा के निम्नलिखित रूप हैं:

- विवाह के अन्तर्गत, डेटिंग संबंधों में या अजनबी द्वारा बलात्कार।
- सशस्त्र विद्रोह के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार।
- अवांछित यौन संकेत या यौन उत्पीड़न या किसी सहायता के बदले सैक्स की मांग करना।
- बलपूर्वक विवाह या जबरदस्ती साथ रहना इसमें बच्चों का जबरदस्ती विवाह भी शामिल है।
- गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने की मनाही अथवा यौन संचारित रोगों के फैलने से बचाव के लिए अन्य उपाय इस्तेमाल करने के अधिकार की मनाही।
- जबरदस्ती गर्भपात कराना।
- जननांगों को विकृत करने और कौमार्य परीक्षण के लिए बाध्य करने समेत महिला की लैंगिक स्वस्थता के विरूद्ध हिंसक कार्य।
- जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराना और यौन शोषण के उद्देश्य से लोगों का अनैतिक व्यापार।

यौन हिंसा की परिभाषा

पीड़ित और गवाहों के अधिकार

बलात्कार एक आपराधिक दुर्व्यवहार है और इसलिए बलात्कार पीड़ित और गवाहों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भय और क्षति से सुरक्षा का अधिकार
- आपराधिक न्याय की कार्यवाही से संबंधित सूचना पाने का अधिकार
- सम्पति और रोजगार की सुरक्षा का अधिकार
- आपराधिक न्यायालय की कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का अधिकार
- सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार किए जाने का अधिकार
- सलाहकार पाने का अधिकार

शोषण के विरूद्ध अधिकार

- शोषण के विरूद्ध अधिकार के दो प्रावधान हैं:
  - मानवों के अनैतिक व्यापार और भीख मांगने (बलपूर्वक श्रम) पर निषेध।
  - 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों, जिनकी सूची अनुलग्नक 53 में दी गई है में रोजगार देने की मनाही ।
- इन प्रावधानों का उल्लंघन कानून के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।
- दासवृत्ति या वेश्यावृत्ति के लिए मानवों का अनैतिक व्यापार भी कानून द्वारा निषिद्ध है।

वोट देने का अधिकार

- भारत का संविधान विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर वोट देने के अधिकार की गारन्टी देता है जिसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है अपना वोट डाल सकता है।
- वोट देने का अधिकार महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने का समान अवसर प्रदान करता है।

महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

- भारत के संविधान में पुरूषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध और शोषण के बढ़ते हुए मामले दर्शाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अतः कानून को मजबूत बनाने और जेंडर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां लागू करने की जरूरत है।

महिलाओं के प्रति हिंसा

महिलाओं पर हिंसा का अभिप्राय जेंडर के कारण महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष हानिकारक व्यवहार है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप

लिंग चयन आधारित गर्भपात

- गर्भधारण के समय या उसके बाद किसी भी कृत्रिम तरीके से बच्चे के लिंग का पता लगाने की प्रक्रिया लिंग चयन की क्रिया है।
- जेंडर आधारित लिंग चयन गर्भपात महिलाओं पर हिंसा का एक चरम रूप है।
- नवजात बालिकाओं को जानबूझ कर मार देना बालिका शिशुहत्या कहलाता है।

लिंग आधारित गर्भपात के कारण

सामाजिक कारण	आर्थिक कारण	राजनीतिक कारण
• बेटों को वरीयता देना • बेटे परिवार की विरासत और वंश बढ़ाते हैं ऐसी धारणा • महिलाओं की अधीन स्थिति • दहेज जैसी कुप्रथाए	• बच्चे के पालन–पोषण पर होने वाला खर्च • विवाह पर होने वाला खर्च • महिलाओं के काम अवमूल्यन	• कानूनों का कार्यान्वयन कारगर ढंग से न होना • राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी • छोटे परिवार की नीति • केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी

लिंग चयन आधारित गर्भपात के खिलाफ कानूनी प्रावधान

- चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (2002 में संशोधित)
- गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीकें (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (पी सी पी एन डी टी) अधिनियम (2003 में यथा संशोधित)

बाल विवाह

- 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है।
- भारत में इससे कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध है और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दंड का प्रावधान है।

बाल विवाह के कारण

- लड़कियों को जिम्मेदारी या बोझ माना जाता है
- लड़कियों की सुरक्षा के बारे में डर और चिन्ता
- दहेज
- कानूनों का कार्यान्वियन सही तरीके से न होना

- घरेलू हिंसा के प्रति अतिसंवेदनशील
- लड़कियों में निरक्षरता
- लड़कियों का अनैतिक व्यापार और उनकी बिक्री
- यौन संचारित रोगों और एच आई वी/एड्स के मामलों में वृद्धि
- प्रसव के दौरान जटिलताएं
- मातृ मृत्युदर में वृद्धि
- शिशु मृत्युदर में वृद्धि

बाल विवाह के परिणाम

बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधान

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

दहेज

- दहेज का अर्थ है ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो निम्नलिखित द्वारा दी जाती है या देने के लिए सहमति दी जाती है:
  - वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को।
  - वधु या वर के माता–पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

- विवाह से पहले या विवाह के बाद।

➢ दहेज देना, लेना, मांग करना अथवा दहेज के लिए प्रचार करना भी अपराध है।

➢ कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी अथवा किसी रिश्तेदार की शादी पर दहेज लेता या देता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम (संशोधित अधिनियम, 1986) के अन्तर्गत सजा हो सकती है।

दहेज के खिलाफ कानूनी प्रावधान

➢ दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित अधिनियम, 1986)

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा का अभिप्राय ऐसे कार्य, चूक या आचरण से है:

➢ जिसके अंतर्गत घरेलू संबंध में चाहे वह रिश्ता विवाह से हो या बिना विवाह के साथ रहने से हो। किसी महिला या किसी बच्चे को हानि या चोट पहुंचती है या उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा या तंदरूस्ती को नुकसान या चोट पहुंचने की संभावना हो।

➢ जिसमें घर के भीतर महिलाओं या बच्चों के प्रति हिंसात्मक दुर्व्यवहार शामिल है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

- शारीरिक दुर्व्यवहार/शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी
- यौन दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार की धमकी
- मौखिक भावात्मक और/या मानसिक दुर्व्यवहार
- आर्थिक दुर्व्यवहार

पीड़िता और परिवार पर हिंसा का प्रभाव

शारीरिक प्रभाव	मनोवैज्ञानिक प्रभाव	बच्चों पर प्रभाव
• चोटें • टूटी हड्डियां • सिर की चोटें • शरीर के किसी अंग का कटना और आन्तरिक रक्त स्राव • पीड़ित अगर गर्भवती है तो गर्भपात होने, समयपूर्व दर्द उठने, भ्रूण को चोट पहुंचने या उसकी मौत होने का भारी खतरा होता है	• बहुत ज्यादा तनाव • डर और चिन्ता • अवसाद • बार–बार आलोचना का विषय बनना	• विकास और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रभावित होती है • आक्रमकता बढ़ती है • चिन्ता • मित्रों, परिवार, अधिकारीगण से घुलने–मिलने में बदलाव • विद्यालय में रवैया व अनुभूति के साथ समस्याएं

घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान

➤ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ितों के लिए सुरक्षा संबंधी आदेश, कानूनी सहायता और राहत

निषेध	राहत	कानूनी सहायता
• यह कानून घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है। • पीड़िता जहां रह रही हैं, वहां हिंसाकर्ता को जाने से रोकता है। • हिंसाकर्ता को पीड़िता से बातचीत करने से रोकता है। • घरेलू हिंसा से प्रभावित आश्रितों, अन्य संबंधितों के पास जाने से रोकता है।	• होने वाले खर्च के लिए। • हुए नुकसान के लिए। • पीड़िता और उसके बच्चे की चिकित्सा और भरणपोषण पर होने वाला खर्च प्रदान करना।	• गरीब, दीन-हीन महिलाओं और बच्चों को जिनके पास कानूनी कार्रवाई के लिए साधन नहीं है उन्हें कानूनी सहायता देता है। • गरीब और/या बेरोजगार महिलाएं, जिनके पास साधन नहीं हैं, वे और उनके बच्चे किसी वकील से मुफ्त कानूनी सलाह और कानूनी सेवाएं ले सकते हैं। उन मामलों में जहां गंभीर चोटें हो तो आपराधिक आरोप लगाना।

अनैतिक व्यापार

➤ अनैतिक व्यापार का अर्थ है वे सभी गतिविधियां जिनमें महिलाओं और बच्चों को जबरदस्ती और/या धोखे से देश के भीतर या सीमा पार ले जाना, उनकी बिक्री या खरीद करना शामिल है।

अनैतिक व्यापार के उद्देश्य

अनैतिक व्यापार के कारण

अनैतिक व्यापार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

- गरीबी
- रोजगार की संभावना कम होना
- पुरुष प्रधान संस्कृति
- महिलाओं के अधिकारों की समझ कम होना
- शिक्षा का निम्न स्तर
- महिलाओं से भेदभाव और उन्हें हाशिए पर रखना
- दहेज जैसे सांस्कृति कारक

अनैतिक व्यापार के पीड़ितों के लिए खतरे

- मजदूरी कम दी जाती है, रोक दी जाती है या मजदूरी नहीं दी जाती
- काम का वातावरण खतरनाक होता है
- हिंसक शारीरिक दुर्व्यवहार
- नशीले पदार्थों और अन्य प्रकार के नशे की लत होना
- इलाज की तरफ ध्यान न देना
- मनोवैज्ञानिक सदमा
- भावात्मक सदमा

अनैतिक व्यापार के खिलाफ कानूनी प्रावधान

- अनैतिक व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1956, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (वर्ष 2012 में संशोधित)

यौन उत्पीड़न

- घूरने, इशारे करने, छूने, टिप्पणी करने, यौन आक्रमण समेत यौन प्रकृति का कोई भी अशोभनीय या अनुचित व्यवहार यौन उत्पीड़न कहलाता है।

यौन उत्पीड़न के रूप

बलात्कार तथा यौन उत्पड़ीन या इसकी कोशिश	यौन सहमति के लिए अवांछित दबाव डालना	अवांछित रूप से जानबूझ कर छूना, ऊपर झुकना, घेरना या चुटकी काटना	अवांछित कामुक नजरें या इशारे
अंवाछित पत्र, टेलीफोन कॉलें या कामुक प्रकृति की सामग्री	मिलने के लिए अवांछित दबाव बनाना	अवांछित यौन छेड़–छाड़, चुटकुले, टिप्पणियां या प्रश्न	सीटी बजाना
सिसकारी भरना	दूसरे के सामने स्वयं को कामुक ढंग से छूना या रगड़ना	व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखना (ऐलीवेटर आइज)	घूरना
	चेहरे पर हाव–भाव लाना, आंख मारना, दूर से चूमने के इशरे करना या होंठ चाटना	हाथों या शरीर के संचालन से कामुक इशारे करना	

यौन उत्पीड़न के परिणाम

सदमें के बाद तनाव संबंधी विकार
बहुत समय तक चिन्ता, तनाव या डर बना रहना सदमें के बाद के तनाव संबंधी विकार (पी टी एस डी) के लक्षण हो सकते हैं।

खुद को नुकसान पहुंचाना
यौन उत्पीड़न के बाद कुछ पीड़िताएं कठिन और दर्दनाक अनुभूतियों से निपटने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं।

यौन संचारित संक्रमण
अगर यौन कार्य अवांछित या बलपूर्वक हुआ हो तो भी इसके दौरान यौन संचारित संक्रमण हो सकता है।

अवसाद
उदासी की भावनाएं अवसाद का लक्षण हो सकती हैं जिनका व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है।

आप क्या कर सकती हैं

अगर आप उत्पीड़न की शिकार हैं तो:

- अपने आस–पास के लोगों (मित्रों या अजनबियों) से मदद लें।
- अगर उत्पीड़न कालेज या विश्वविद्यालय में हुआ है तो कालेज की शिकायत समिति या अन्य किसी सांविधिक निकाय में शिकायत करें।
- अगर यह सार्वजनिक स्थान पर हुआ है तो तुरन्त पुलिस को शिकायत करें। किसी महिला संगठन में शिकायत करें।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी प्रावधान

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निषेध) अधिनियम, 2013
- महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति (निषेध) अधिनियम 1986
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो)

वैधव्य की समस्याएं

- विधवा ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- भारतीय समाज में विधवा की स्थिति दयनीय है।
- उन्हें अपशगुनी माना जाता है, और उम्र की परवाह किए बिना उन्हें दुबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती और अक्सर उन्हें समाज से अलग–थलग कर दिया जाता है।

विधवाओं की समस्याएं

- **इलाज संबंधी मुद्दे:** विधवाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की भारी उपेक्षा की जाती है और इसे वर्जित माना जाता है।
- **आर्थिक/वित्तीय मुद्दे:** भारत के अधिकांश परिवारों में पुरूष ही मुख्य रूप से कमाने वाला होता है। थोड़ी सी या बिना बचत और बिना नियमित आमदनी के महिला परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहती है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** आज तक भी विधवाओं को उनके पति की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है और उन्हें परिवार में अभिशाप के रूप में देखा जाता है। उन्हें खास तरह के कपड़े पहनने और बर्ताव करने, सादा भोजन करने और खास दिनों पर उपवास करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **कानूनी मुद्दे:** आपने अधिकारों से अनजान (खासतौर पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) और अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ उस महिला के पास न्यायायिक मदद प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होता।

अन्य कानूनी प्रावधान

विवाह अधिनियम

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कई कानून पारित किए गए हैं जिनके जरिए विवाह की संस्था को नियंत्रित किया जाता है। विवाह से संबंधित अधिनियम नीचे दिए गए हैं:

हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955

- हर हिन्दु विवाह को पंजीकृत कराना जरूरी है चाहे वह पूरे रीति रिवाजों से सम्पन्न हुआ हो।
- हिन्दु विवाह परम्परागत रीति–रिवाजों के अनुसार होना चाहिए जिसमें 'सप्तपदी' (वर और वधु पवित्र अग्नि के सामने सात फेरे लेते हैं), के बाद ही विवाह सम्पूर्ण माना जाता है।

हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान

वैध विवाह	निषेध	तलाक का आधार
• विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधु ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। • किसी भी पक्ष के जीवनसाथी जीवित न हो। • समाजिक रीति–रिवाज के अनुसार नजदीकी रिश्ते में विवाह वैध माना जाता है। • समाज में रिवाज न होने पर नजदीकी रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाता।	• आदर्शवादी संबंधों के बीच विवाह अस्वीकार्य है जैसे मां और बेटे, पिता और पुत्री, बहन और भाई के बीच विवाह निषिद्ध है। • द्विविवाह या बहु विवाह निषिद्ध है। • दूसरे विवाह के मामले में संबंधित पक्ष को अपनी पत्नी या पति से पहले तलाक लेना होगा उसके बाद दोबारा विवाह किया जा सकता है।	• दो या दो वर्ष से ज्यादा समय से अलग–अलग रहना। • हिन्दु धर्म के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाना। • मानसिक अस्वस्थता। • विषयी रोग। • कोढ़। • अगर पति दोबारा विवाह कर ले या वह बलात्कार, समलैंगिकता अथवा पाशविकता का दोषी पाया जाए तो इस आधार पर पत्नी तालक की मांग कर सकती है। • नव–विवाहित जोड़ा विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए याचिका दायर नही कर सकता।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अदालत में किया जाता है और इसके लिए रसमों–रिवाज या समारोह की जरूरत नहीं होती।
- विवाह करने के इच्छुक पक्षों को जिले के मैरिज रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस दायर करना होता है। विवाह के लिए नोटिस देने की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन की अवधि के लिए किसी एक पक्ष का उस जिले में रहना अनिवार्य होता है।
- तीस दिन की अवधि के भीतर अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती तो विवाह की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है।
- जब दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे को यह कहते हैं कि "मैं तुम्हें कानूनन पति मानती हूं/पत्नी मानता हूं" तभी उनका विवाह सम्पन्न होता है।

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872

- इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह प्रातः छः बजे से सांय सात बजे के बीच संपन्न कराए जाते हैं।
- अगर विवाह के इच्छुक व्यक्ति किसी खास गिरजाघर में विवाह कराना चाहते हैं जिसके धर्म पुरोहित को इसका नोटिस दिया गया हो तो वह नोटिस को गिरजाघर के किसी विशिष्ट स्थान पर लगाएंगे।
- धर्म पुरोहित द्वारा जिस तारीख को प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके बाद दो महीने तक अगर विवाह नहीं होता है तो की गई सभी कारवाईयां रद्द समझी जाएंगी और विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नया नोटिस और नया प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर दिया जाएगा।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936

- पारसी विवाह किसी पारसी पुरोहित या पारसी दस्तूर अथवा मोबेड की उपस्थिति में आशीर्वाद परम्परा के रूप में कराया जाता है।
- विवाह कराने वाले पारसी पुरोहित/दस्तूर/मोबेड विवाह करने वाले जोड़े, पुरोहित और दो गवाहों के हस्ताक्षर किया हुआ विवाह प्रमाण–पत्र जारी करता है।
- सभी पारसी/ईरानी/जोरोस्ट्रियन विवाहों का मैरिज रजिस्ट्रार से पंजीकरण कराना जरूरी होता है। इसकी अनुपालना न करने पर जुर्माना, यहां तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
- इक्कीस वर्ष और इससे अधिक उम्र के पारसी युवक और 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की लड़कियां ही विवाह कर सकते हैं।
- खून के रिश्तों में विवाह नहीं हो सकता।
- द्विविवाह या बहु विवाह की अनुमति नहीं है।

भारतीय मुस्लिम विवाह अधिनियम

मुस्लिम विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह कानून पर आधारित है। भारतीय मुस्लिम वर और वधु के बीच विवाह या निकाह एक वैधानिक बंधन है जिस पर वर और वधु सहमत होते हैं।

- मुस्लिम विवाह में आमतौर पर एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव (इजाब) किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार (कबूल) किया जाता है।
- विवाह जहां हो रहा है वहां काज़ी का होना जरूरी नहीं है। इस अधिनियम के अन्तर्गत दो वयस्कों उपस्थिति में विवाह के प्रस्ताव (इजाब) और स्वीकृति (कबूल) के आधार पर विवाह हो जाता है।

भारतीय मुस्लिम विवाह अधिनियम के अन्तर्गत निषेध

मुस्लिम विवाह निम्नलिखित में नहीं हो सकता
• दो बहनों के साथ
• पालन–पोषण करने वाली मां के साथ
• अगर किसी पुरूष के पहले ही चार पत्नियां हैं
• अगर पुरूष और महिला ने पहले विवाह किया और उनका तलाक हो गया और महिला ने दुबारा विवाह नहीं किया है

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें गोद लिए जाने वाले बालक को उसके जैविक माता–पिता से स्थायी रूप से अलग करके दत्तक ग्राही (गोद लेने वाले) माता–पिता को इस संबंध के साथ जुड़े सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों सहित कानूनी रूप से सौंपा जाता है।

जैविक माता–पिता अगर बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते तो उनके स्थान पर उस बालक को एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराना दत्तक ग्रहण (गोद देने) का प्रमुख उद्देश्य हैं। दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिनियमों का विवरण नीचे दिया गया है:

हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956

- भारत में हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम वर्ष 1956 में बनाया गया है।
- यह अधिनियम अपने सभी रूपों में हिन्दुओं और उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिक्ख हैं।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत
  - दत्तक ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है।
  - परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण अनिवार्य है।
- यह अधिनियम दत्तक ग्रहण के उन मामलों पर लागू नहीं होता जो इस अधिनियम के बनने की तारीख से पहले हुए थे। हालांकि यह ऐसे विवाह पर लागू होता है जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुए हों।
- इसके अतिरिक्त अगर पत्नी हिन्दु नहीं है तो पति इस अधिनियम के अन्तर्गत आधुनिक हिन्दु कानून के तहत भरण–पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है।

अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890

अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 खासतौर पर मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए बनाया गया था क्योंकि उनके कानून दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं देते।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति 'अभिरक्षा' के तहत ही बालक गोद ले सकता है।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को अवयस्क/बालक मानता है।
- न्यायालय या नियुक्ति प्राधिकारी बालक के अभिभावक के तौर पर किसी को नियुक्त करने या रद्द करने के निर्णय लेने की योग्यता रखता है।
- अवयस्क की वरीयता को ध्यान में रखा जाता है।
- एक अवयस्क को किसी अवयस्क का अभिभावक नहीं बनाया जा सकता।
- न्यायालय की अनुमति के बिना और किसी वसीयत के बिना अभिभावक आश्रित की सम्पत्ति न तो गिरवी रख सकता है और न ही बेच सकता है।न्यायालय हमेशा आश्रित के हित में सोचता और कार्य करता है।
- आश्रित की चल और अचल परिसम्पत्ति की सूची अभिभावक को न्यायालय में जमा करानी होगी।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में संशोधित) (संशोधन बिल, 2014)

- कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर बल देता है और इसके लिए यह दत्तक ग्रहण को एक महत्वपूर्ण विकल्प मानता है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए हैं जो अनाथ, परित्यक्त, उपेक्षित और दुर्व्यवहार के शिकार हैं।
- जांच से संतुष्ट होने के बाद न्यायालय द्वारा ऐसे बालकों को गोद दिया जाता है।

किशोर न्याय संशोधित विधेयक, 2014 की मुख्य बातें

- यह विधेयक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 का स्थान लेगा।
- यह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की सम्बद्धताओं को पूरा करता है।
- यह विधेयक जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- इस विधेयक में यह व्यवस्था भी है कि किसी कम गंभीर अपराध के लिए एक किशोर पर व्यस्क की तरह तभी मुकदमा चलाया जा सकता है अगर वह 21 वर्ष की उम्र के बाद पकड़ा गया हो।
- विधेयक के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को गठित करने का प्रस्ताव भी है।
- किशोर न्याय बोर्ड यह निर्धारित करने के लिए कि अपराधी किशोर को सुधार घर भेजा जाए या उस पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए, आरंभिक पुछताछ करेगा।
- बाल कल्याण समिति संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संस्थागत देखभाल का निर्धारण करेगी।
- इस विधेयक में गोद लेने वाले माता–पिता की पात्रता और गोद लेने की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है।
- इसमें बच्चों से क्रूरता बरतने, बच्चों को नशीले पदार्थ देने या उनका अपहरण करने या बच्चों की बिक्री के मामलों में दिए जाने वाले दंड को भी रेखांकित किया गया है।
- किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:
  - **जघन्य अपराध:** भारतीय दंड सहिता (आईपीसी)/अन्य कानून के अन्तर्गत न्यूनतम सात वर्ष की जेल
  - **गंभीर अपराध:** तीन से सात वर्ष की जेल
  - **लघु अपराध:** तीन वर्ष से कम की जेल
- किशोर को रिहाई के अवसर के बिना आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।
- विधेयक के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को विशेष गृह में ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जा सकता है। किन्तु कुछ मामलों (जघन्य अपराधों के मामलों) में उन पर वयस्क व्यक्तियों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।
- किशोर न्याय बोर्ड, किशोर द्वारा किए गए अपराध व उन अपराधों के परिणामों के बारे में किशोर की मानसिक/शारीरिक क्षमता का निर्धारण करेगा।
- बोर्ड निम्नलिखित सिफारिश कर सकता है:
  - मध्यस्थताएं, जैसे–परामर्श, सामुदायिक सेवा
  - कम या अधिक अवधि के लिए सुधारगृह में रखना

- किशोर को बाल न्यायालयों में रेफर करना जहां उस पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।

➢ इस विधेयक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- माता–पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चों को सुपुर्द करने के लिए पुनर्विचार अवधि को बढ़ाना।
- जहां बच्चों का स्वदेशी दत्तकग्रहण नहीं किया जाता उन मामलों में अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण की अवधि को बढ़ाना।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यान्वियन हेतु विधेयक की मानीटरिंग के लिए निर्धारित किए गए प्राधिकरण को कार्य सौंपना।

अन्य संबंधित अधिनियम

महिलाओं से संबंधित अन्य अधिनियम नीचे दिए गए हैं:

मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961

यह अधिनियम हर प्रतिष्ठान, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि संबंधी या अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

➢ महिला को प्रसव या गर्भपात के बाद अगले छह हफ्तों तक काम पर रखना निषेध है।

➢ हर महिला प्रसव के दिन समेत अगले छह हफ्तों तक कार्य से अनुपस्थित रहने पर दैनिक वेतन के हिसाब से मातृत्व हित लाभ का भुगतान पाने की हकदार है।

➢ मातृत्व हित लाभ की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते हो सकती है प्रसव के दिन समेत छह हफ्ते पहले से और प्रसव के छह हफ्ते बाद तक।

➢ महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व हित लाभ का भुगतान।

➢ मेडिकल बोनस का भुगतान।

➢ गर्भपात के लिए छुट्टी।

➢ गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे का समयपूर्व जन्म अथवा गर्भपात के कारण हुई अस्वस्थता के लिए छुटटी।

➢ प्रसव के बाद काम पर वापिस आने पर हर महिला को विश्राम के अनुमत समय के अलावा बालक के पंदह महीने का हो जाने तक उसकी देखभाल के लिए दिन में दो बार निर्धारित अवधि का समय दिया जाना चाहिए।

➢ अगर कोई महिला कार्य से अनुपस्थित रहती हैं तो इस प्रावधान के अनुसार उसके नियोक्ता द्वारा उसे उसकी अनुपस्थित में कार्य से हटाना कानून सम्मत नहीं होगा।

- अगर कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 500 रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

मानवाधिकारों की संरक्षण अधिनियम, 1993 {मानवाधिकारों का संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006}

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नामक निकाय की स्थापना करेगी जो इस अधि नियम के अन्तर्गत दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग के कार्य

यह आयोग निम्नलिखित सभी कार्य करेगा:

- न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप पर निजी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- आयोग किसी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अन्य संस्था का दौरा कर सकता है। इलाज, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से रह रहे निवासियों की रहन–सहन की स्थिति का अध्ययन करके राज्य सरकार को सलाह देना
- संविधान या मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उचित सुधारक उपायों की सलाह देना
- मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इसे बढ़ावा देना
- समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों के बारे में साक्षरता फैलाना और प्रचार मीडिया, सेमिनारों के जरिए और इन अधिकारों पर अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए जागरूकता लाना
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देना

मानवाधिकार न्यायालय: मानवाधिकारों के उल्लघंन के बढ़ते हुए अपराधों के मुकदमें तेजी से चलाए जा सकें इसके लिए राज्य सरकार ऐसे मुकदमों को चलाने के लिए हर जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्धारित करा सकती है।

विशेष सरकारी वकील: राज्य सरकार हर मानवाधिकार न्यायालय में ऐसे मामलों के लिए एक ऐसा विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेगी जिसे वकील के रूप में अभ्यास करते हुए कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो चुका हो।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक (संशोधित) अधिनियम, 1995 में संशोधित हुआ और उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, जोरोआस्ट्रियन (पारसी) और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आयोग के कार्य

- अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना।
- अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना।
- अल्पसंख्यक समुदायों से कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके कारणों पर अध्ययन करना और उस भेदभाव को हटाने के उपायों के सुझाव देना।
- अल्पसंख्यकों से भी संबंधित मुददों व उनकी कठिनाइयों पर आवधिक रिपोर्ट देना।

आपराधिक कानून (संशोधित) अधिनियम, 2013

आपराधिक कानून (संशोधित) अधिनियम, 2013 एक भारतीय कानून है। इसे लोक सभा ने 19 मार्च, 2013 और राज्य सभा ने 21 मार्च, 2013 को पारित किया था। यह अधिनियम यौन अपराधों से संबंधित कानूनों पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन उपलब्ध कराता है।

अपराध और दंड

अपराध	दंड
एसिड से हमला	कम से कम दस वर्ष की जेल की सजा जो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और चिकित्सा खर्च की पूर्ति के लिए न्यायोचित जुर्माना होगा जिसे पीड़िता को दिया जाएगा
एसिड हमले का प्रयास	कम से कम पांच वर्ष की जेल की सजा जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है
यौन उत्पीड़न	➢ तीन वर्ष की जेल की कठोर सजा जुर्माने बिना या जुर्माने सहित अगर अपराध खंड (i), (ii) या (iii) में वर्णित के अन्तर्गत आता है ➢ एक वर्ष तक की जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है

	धारा 354 में संशोधनः जेल की सजा जो कि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, इसे बदल कर अब इस प्रकार रखा गया है कि जेल की सजा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है
किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से की गई गतिविधि	कम से कम तीन वर्ष की जेल की सजा जो जुर्माने के साथ सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है
दृश्यरति (व्यायरिज़्म)	पहली बार सजा के तौर पर कम से कम एक वर्ष की जेल, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दूसरी बार और उसके बाद कम से कम तीन वर्ष की जेल की सजा जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है
पीछा करना	पहली बार अपराध के लिए जेल की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है
अनैतिक व्यापार	➢ अनैतिक व्यापार करने वाले को कम से कम सात वर्ष की जेल की कठोर सजा हो सकती है और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है ➢ अगर अपराध में एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो कम से कम दस वर्ष की जेल की कठोर सजा जो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है ➢ अगर अनैतिक व्यापार किसी अवयस्क का किया गया है तो दस वर्ष की जेल की कठोर सजा जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है ➢ अगर एक से ज्यादा बच्चों की खरीद–बिक्री की गई

है तो कम से कम 14 वर्ष की जेल की कठोर सजा, जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है

- अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार अनैतिक व्यापार के अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है जिसका अर्थ है कि उसे बाकी सारा जीवन जेल में गुजारना होगा और जुर्माना भी हो सकता है
- अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अनैतिक व्यापार में शामिल है तो उस लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा होगी जिसका अर्थ है कि उसे बाकी का अपना जीवन जेल में बिताना होगा और जुर्माना भी हो सकता है

प्रयास

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्वतंत्र रूप से कई प्रयास शुरू किए हुए हैं जिनसे अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए बल या अधिक अवसर विकसित हुए हैं। ऐसे कुछ प्रयासों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

ट्रैक चाइल्ड (गुमशुदा बच्चों की खोज)

- ट्रेक चाइल्ड को समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत बनाया गया था ताकि 'गुमशुदा' बच्चों की खोज और 'पाए गए' बच्चों के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जा सके।
- ट्रेक चाइल्ड पोर्टल गुमशुदा और पाए गए बच्चों के मामले पुलिस/प्राधिकरण को ऑन लाइन रिपोर्ट करने का महत्वपूर्ण साधन है।

हिम्मत

- हिम्मत महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक खास प्रयास है।
- हिम्मत एक आपातकालीन सेवा है जिसमें एक एन्ड्रायड इमरजेंसी एप्लीकेशन है जिससे किसी महिला द्वारा आपात स्थिति में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों या किसी विशेष संपर्क नं0 या समूह को संकट कॉल भेजी जा सकती है।
- पुलिस कार्मिको को इन एस ओ एस कॉल की लोकेशन एक पोर्टल पर और एस एम एस के जरिए अपने फोन पर प्राप्त करेंगे।
- संकटकालीन कॉल या संदेश का पुलिस कंट्रोल रूम (पी सी आर) द्वारा उत्तर दिया जाएगा और पी सी आर वैन और नजदीकी पुलिस स्टेशन के जरिए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- हिम्मत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में ही कार्यरत है। हिम्मत एप्लीकेशन प्रयोग कर्ता की कॉल को उत्तर दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंद्ध कंट्रोल रूम द्वारा हॉट लाइन/तार संचार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर जाने पर कॉल का उत्तर देना संभव नहीं है।

'हिम्मत' का इस्तेमाल कैसे करें

वन स्टॉप सेन्टर (ओ एस सी)

- वन स्टॉप सेन्टर निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार समुदाय और कार्य स्थल पर हिंसा से प्रभावित महिला को सहायता देने के इरादे से बनाए गए हैं।
- शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं की उम्र, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति से निरपेक्ष उन्हें चिकित्सा संबंधी, कानूनी, मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी।
- यह हिंसा से प्रभावित सभी महिलाएं जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल होंगी चाहे उनकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लैंगिक रूझान या वैवाहिक स्थिति जो भी हो को लक्षित करता है ।

प्रशिक्षक शामिल किए गए विषयों, संबंधित गतिविधियों और अनुलग्नकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में पहला दिन सत्र 3 और तीसरा दिन सत्र 1,2, 3 का संदर्भ ले सकते हैं।

टिप्पणियां

टिप्पणियां

प्राक्कथन एवं मुद्रण फाउन्टेनहैड सोल्यूशन प्रा. लि.

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॅम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)
5, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली–110016